

DD SHUTTING TERRESTRIAL TV TRANSMITTERS

DD Analog Terrestrial TV Transmitters (ATT) being shut is a good move & will ensure further loss to exchequer is curtailed.

Way forward for DD Analogue Terrestrial Transmitters (ATT) was deliberated in the 103rd Management Committee Meeting held on 18th August, 2021 with a view to ensure that IEBC expenditure is curtailed and spectrum liabilities are limited.

Further Ministry of I&B vide letter dt 08.09.2021 {ref (ii)} has requested Prasar Bharati to holistically re-examine the current scenario of Digital Terrestrial Broadcasting along with technological and commercial feasibility, parallel competing technologies including 5G. Also in DG Audit's letter dated 16.08.2021 forwarded by MoB vide its letter No. N-37023/9/2021-B(D) dated 26.08.2021 following is stated:

"... relevant public domain documents were accessed during Audit, from TRAI, MIB, BARC, Committees of MIB etc. to ascertain optimum and efficient utilisation of frequencies occupied by DD for ATT. It was found that ATT method of broadcast of television content, besides being inherently inefficient, has become irrelevant in taking the television content to the public.

..... It is significant that the Expert Committee on Prasar Bharati recommended (January 2014) for switching off analog terrestrial TV broadcasts within a short period of time in view of proliferation of alternate technologies and adoption of DD Direct (DTH) as Doordarshan's primary mode of transmission. ... "

This is with reference to the Prasar Bharati Sectt. ID No. T-2/202(6)/2020-Tech.(eFIIe) dated 13.09.2021 (Copy enclosed) on the above subject, therein referring to the 103rd. meeting of Management committee held on 18.08.2021, and conveying the following decisions:-

I. "54 ATTs (list as per Annexure A) in Strategic areas

टेरेस्ट्रियल टीवी ट्रांसमीटरों को बंद कर रहा है डीडी

डीडी एनालॉग टेरेस्ट्रियल टीवी ट्रांसमीटर (एटीटी) का बंद होना एक अच्छा कदम है और यह सुनिश्चित करेगा कि सरकारी खजाने को आगे के नुकसान को रोका जा सके।

डीडी एनालॉग टेरेस्ट्रियल टीवी ट्रांसमीटर (एटीटी) के आगे के रास्ते पर 18 अगस्त 2021 को आयोजित 103वें प्रबंधन समिति की बैठक में विचार-विमर्श किया गया, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया कि आईडीवीआर के खर्च को कम किया जाए और स्पेक्ट्रम देनदारियां भी सीमित हो।

इसके अलावा सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने दिनांक 08.09.2021 के पत्र {ref (ii)} द्वारा प्रसार भारती से तकनीकी और वाणिज्यिक

व्यवहार्यता, 5जी सहित समानांतर प्रतिस्पर्धी प्रौद्योगिकियों के साथ-साथ डिजिटल टेरेस्ट्रियल प्रसारण के वर्तमान परिदृश्य के समग्र रूप से फिं एमओएलवी द्वारा अपने पत्र संख्या एन-37023/9/2021-बी (डी) दिनांक 26.08.2021 द्वारा प्रस्तुत किया गया है:

'...ऑडिट के दौरान प्रासंगिक सार्वजनिक डोमेन दस्तावेजों को ट्राई, एमआईवी, वीएआरसी, एमआईवी की समितियों आदि से एटीटी के लिए डीडी द्वारा कब्जा की गयी फ्रीक्वेंसियों के इष्टतम और कुशल उपयोग का पता लगाने के लिए एक्सेस किया गया था। यह पाया गया कि टेलीविजन सामग्री के

प्रसारण की एटीटी विधि, स्वाभाविक रूप से अक्षम होने के अलावा, टेलीविजन सामग्री को जनता तक ले जाने में अप्रासंगिक हो गया है।

...यह महत्वपूर्ण है कि प्रसार भारती पर विशेष समिति ने वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों के प्रसार और दूरदर्शन के रूप में डीडी डॉयरेक्ट (डीटीएच) को अपनाने और दूरदर्शन के प्रसारण का प्राथमिक तरीका बनाने के मद्देनजर कम समय के भीतर एनालॉग टेरेस्ट्रियल टीवी प्रसारण बंद करने की सिफारिश (जनवरी 2014) की है।

यह उपरोक्त विषय पर प्रसार भारती सेक्ट आईडी संख्या टी 2/202(6)/2020-टेक (ईफाइल) दिनांक 13.09.2021 (प्रतिलिपि संलग्न) के संदर्भ में है जिसमें 18.08.2021 को आयोजित प्रबंधन समिति की 103 वें बैठक का जिक्र है और इसमें निम्नलिखित निर्णयों से अवगत कराया गया:

1. रणनीतिक क्षेत्रों यानि जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम, अंडमान व



i.e. J&K, Ladakh, Sikkim, A&N Islands and Lakshadweep- Status quo to be maintained.

- II. **151 ATTs (list as per Annexure B) (43 ATTs in NE states and 108 Digital ready ATTs) - To be operated in single shift with immediate effect, to be closed by 31st March 2022.**
- III. **109 ATTs (list as per Annexure C) operating in LWE/Border/Aspirational areas to be operated in single shift with immediate effect and to be closed by 31st Dec. 2021 allowing some more time for publicity regarding DD-Freedish.**
- IV. **152 ATTs (list as per Annexure D) in remaining areas to be closed by 31st Oct. 2021 and staff re-deployed immediately as per HR policy.**
- V. CTI is operating at about 37 ATT locations being closed. These ATTs may be switched off however further actions may be examined on case to case basis and put up for decision.
- VI. DD ATT Sites which are privately rented and no AIR FM exist / planned / proposed are to be vacated. Vacation of other rented / Govt sites to be taken up on case to case basis."

Therefore in compliance to the above decisions, I am directed to convey the following:

- ◆ Zonal Heads (Broadcast) of all the Zones are accordingly requested to ensure the single shift transmission from 260 ATTs as per details in Annexure- B & C with immediate effect. The shift timings will be from 10 AM to 5 PM for all seven days. Zonal Heads (Admin/HR) may also immediately rationalize the staff deployment at these ATTs accordingly.
- ◆ Zonal Heads (Broadcast) of all the Zones are further requested to ensure closure of 412 ATTs as per details in Annexure-D (152 ATTs), Annexure-C (109 ATTs) and Annexure-B (151 ATTs) by the stipulated dates as mentioned in the above decision i.e. by

निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में 54 वें एटीटी (अनुबंध 1 के अनुसार सूची)-यथास्थिति बनाये रखी जायेगी।

2. **151 एटीटी (अनुलग्न बी के अनुसार सूची) (पूर्वोत्तर राज्यों में 43 एटीटी और 108 डिजिटल रेडी एटीटी)- तत्काल प्रभाव से सिंगल शिफ्ट में संचालित किया जायेगा और 31 मार्च 2022 तक बंद कर दिया जायेगा।**
3. **वामपंथी उग्रवाद/सीमा/आकांक्षी क्षेत्रों में कार्यरत 109 एटीटी (अनुबंध सी के अनुसार सूची) को तत्काल प्रभाव से एकल पाली में संचालित किया जायेगा और डीडी फ्रीडिश के प्रचार के लिए कुछ और समय की अनुमति देते हुए 31 दिसंबर 2021 तक बंद कर दिया जायेगा।**
4. **शेष क्षेत्रों में 152 एटीटी (अनुबंध डी के अनुसार सूची)**

को 31 अक्टूबर 2021 तक बंद कर दिया जायेगा और कर्मचारियों को एचआर नीति के अनुसार तुरंत फिर से तैनात किया जायेगा।

5. करीब 37 एटीटी जगहों पर सीटीआई काम कर रही है। इन ए आईटी को बंद किया जा सकता है, हालांकि मामले के आधार पर आगे की कार्रवाई की जांच की जा सकती है और निर्णय के लिए रखा जा सकता है।

6. डीडी एटीटी साइटें, जो निजी तौर पर किराये पर ली गयी है और कोई एआईआर एफएम मौजूद नहीं है/ योजनावद्ध/ प्रस्तावित है, उन्हें खाली किया जाना है। मामले के आधार पर अन्य किराये/सरकारी स्थलों की छुट्टी ली जायेगी।

अतः उपरोक्त निर्णयों के अनुपालन में मुझे निम्नलिखित जानकारी देने का निर्देश हुआ है:

◆ तदनुसार सभी जोनो के जोनल प्रमुखों (प्रसारण) से अनुरोध किया जाता है कि वे

अनुलग्नक-बी और सी में दिये गये विवरण के अनुसार 260 एटीटी से तत्काल प्रभाव से सिंगल शिफ्ट ट्रांसमिशन सुनिश्चित करें। सभ सात दिनों के लिए शिफ्ट का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। जोनल प्रमुख (प्रशासन/मानव संसाधन) भी तदनुसार इन एटीटी में कर्मचारियों की तैनाती को युक्तिसंगत बना सकते हैं।

- ◆ सभी जोनो के जोनल प्रमुख से अनुरोध है कि वे अनुबंध डी (152 एटीटी) अनुलग्नक सी (109 एटीटी) और अनुलग्नक-बी (151 एटीटी) में दिये गये विवरण के अनुसार 412 एटीटी को निर्धारित तिथियों तक बंद करना सुनिश्चित करें। उपरोक्त निर्णय में उल्लेख

Doordarshan is shutting its Analog Terrestrial TV Transmitters (ATTs), and shift viewers to DD FreeDish

- ❖ **152 ATTs will be closed closed by 31st Oct 2021**
- ❖ **109 ATTs operating in LWE / Border / Aspirational areas to be operated in single shift with immediate effect and to be closed by 31st Dec 2021.**
- ❖ **151 ATTs (43 in NE states & 108 Digital ready ATTs) - To be operated in single shift with immediate effect & closed by 31st March 2022.**

31st October 2021, 31st December 2021 and 31st March 2022 respectively after giving minimum one month publicity notice. The time frame and responsibility matrix for closure of these ATTs will remain same as has been sent along With earlier closure orders of ATT's and the same are also attached herewith as Annexure-E.

- ◆ Zonal Heads (BO) are required to complete the closure and disposal by way of reutilization / auction of ATTs and allied equipment in accordance with the extant rules / directions and as per attached time & responsibility matrix (placed in Annexure E) and vacation of rented sites as per above decisions.
- ◆ DO ATT Sites which are privately rented and no AIR FM exist / planned / proposed are to be vacated. Vacation of other rented/Govt sites to be taken up on case to case basis.
- ◆ DOG (HRD) DG:DD and Zonal Heads (Admin) of all the Zones are requested to carry out the re-deployment of the staff of these transmitters immediately as per HR policy.
- ◆ At about 37 ATT locations which are under closure, CTI is proposed by the AIR Resources. In this regard, AIR Resources to take up the matter on case to case basis, if required, for decision by the PB Sectt.
- ◆ All concerned are requested to take necessary actions for implementations of the above decisions as per the timelines and the progress/compliance may please be reported to this Directorate for apprising the PB Sectt. accordingly.

This issues with the approval of DG Doordarshan. ■

क्रिया गया है उन्हें अर्थात न्यूनतम एक महीने का प्रचार नोटिस देने के बाद क्रमशः 31 अक्टूबर 2021, 31 दिसंबर 2021 और 31 मार्च 2022 तक का समय दिया जाए। इन एटीटी को बंद करने के लिए समय सीमा और जिम्मेदारी मैट्रिक्स वही रहेगा जो एटीटी के पहले के बंद करने के आदेशों के साथ भेजा गया है और इसे इसके साथ अनुबंध ई के रूप में भी संलग्न किया गया है।

- ◆ क्षेत्रीय प्रमुखों (वीओ) को मौजूदा नियमों/निर्देशों के अनुसार और संलग्न समय और जिम्मेदार मैट्रिक्स (अनुबंध ई में रखा गया) और उपरोक्त निर्णयों के अनुसार किराये पर ली गयी साइटों को खाली करने के लिए एटीटी और संबद्ध उपकरणों के फिर से इस्तेमाल/नीलामी के माध्यम से समापन व निपटान को पूरा करना आवश्यक है।
- ◆ डीओ एटीटी साइटें, जो निजी तौर पर किराये पर ली गयी हैं और एफआईआर एफएम मौजूद नहीं है/योजनाबद्ध/प्रस्तावित है, उन्हें खाली किया जाना है। मामले के आधार पर अन्य किराये/सरकारी स्थलों को खाली करने का फैसला लिया जायेगा।
- ◆ डीओजी (एचआरडी) डीजी सभी जोनों के डीडी और जोनल हेड (एडमिन) से अनुरोध है कि वे एचआर नीति के अनुसार इन ट्रंसमीटरों के कर्मचारियों की तत्काल पुनः तैनाती करे।
- ◆ लगभग 37 एटीटी स्थलों पर, जो बंद होने के अधीन हैं, एआई आर संसाधनों द्वारा सीटीआई का प्रस्ताव किया गया है। इस संबंध में प्रसार भारती सेक्ट. द्वारा निर्णय के लिए, यदि आवश्यक हो तो मामले के आधार पर आकाशवाणी के संसाधन के मामले को भी उठाया जायेगा।
- ◆ सभी संबंधितों से अनुरोध है कि उपरोक्त निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए समय सीमा के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करें और कृपया इस निदेशालय को पीवी सेक्ट. को तदनुसार अवगत करने के लिए प्रगति/अनुपालन की सूचना दें।
इसे डीजी दूरदर्शन के अनुमोदन से जारी किया जाता है। ■

**INDIA'S MOST RESPECTED TRADE MAGAZINE FOR THE
CABLE TV, BROADBAND, IPTV & SATELLITE INDUSTRY**



**... You Know What You Are Doing
But Nobody Else Does**

ADVERTISE NOW !

Contact: Mob.: +91-7021850198 Email: scat.sales@nm-india.com